**भारत सरकार**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय**

**कृषि एवं किसान कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3466**

**10 अगस्त, 2021 को उत्तरार्थ**

**विषय: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आधुनिक सिंचाई**

**3466. श्री सुधीर गुप्ता:**

**श्री रवि किशन:**

**श्री सुब्रत पाठक:**

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:**

**श्री रविन्दर कुशवाहा:**

**श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक:**

**श्री प्रतापराव जाधव:**

**श्री बिद्युत बरन महतो:**

**श्री चन्द्रशेखर साहू:**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से 'हर खेत को पानी' प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस उद्देश्य के अंतर्गत आधुनिक सिंचाई प्रणाली अर्थात ड्रिप और स्प्रिंकलर को लागू करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान छोटे और सीमांत किसानों को हुए इसके लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत के व्यावहारिक और वित्तीय लक्ष्य तय किए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) अब तक लाभान्वित कृषि क्षेत्र का ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय हुआ है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) : सरकार सिंचाई आपूर्ति श्रृंखला, जैसे जल स्रोत, वितरण नेटवर्क और खेत स्तर के अनुप्रयोगों में शुरू से अंत तक समाधान प्रदान करने के लिए 'हर खेत को पानी' के उद्देश्य के साथ 2015-16 से प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रही है।

पीएमकेएसवाई के घटकों का विवरण है जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (डीओडब्ल्यूआर,आरडीएंडजीआर) द्वारा कार्यान्वित त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जो राष्ट्रीय परियोजनाओं सहित चालू प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर केंद्रित है; डीओडब्ल्यूआर,आरडीएंडजीआर द्वारा कार्यान्वित हर खेत को पानी घटक स्रोत वृद्धि, वितरण, भूजल विकास, लिफ्ट सिंचाई, जल निकायों के मरम्मत, पुनर्बहाली, नवीनीकरण पर केंद्रित है; भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित पनधारा विकास में वर्षा सिंचित/परती भूमि के विकास पर और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाता है।

(ख) : पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी योजना के तहत, आधुनिक सिंचाई प्रणाली यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर की स्थापना के लिए सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, कुछ राज्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन/टॉप अप सब्सिडी प्रदान करते हैं। योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों में परिकल्पना की गई है कि आवंटन का कम से कम 50% छोटे, सीमांत किसानों के लिए उपयोग किया जाना है।

(ग): ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पानी की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन के माध्यम से उर्वरक उपयोग में कमी, श्रम व्यय, अन्य आदान लागत और किसानों की समग्र आय में वृद्धि में मदद करती है। पीडीएमसी के तहत, पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों को 8180.57 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई और देश में सूक्ष्म सिंचाई के तहत 32.68 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया। चालू वर्ष के लिए, योजना के कार्यान्वयन के लिए 4000 करोड़ रुपये (बीई) की केंद्रीय सहायता आवंटित की गई जिसके सापेक्ष राज्यों को अब तक 351.24 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

(घ) और (ङ): पीडीएमसी में खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा सूक्ष्म सिंचाई को अपनाने और कवरेज को अधिकतम करने पर ध्यान दिया जाता है। इस योजना के तहत 2015-16 से अब तक 14899 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है और देश में 57.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत कवर किया गया है।

******